''सर्वे सन्तु निरामयाः''

''राजस्थान राज्य आयुष नीति 2017''

1. परिचय –

1.1 वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देश में आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को सस्ती, निरापद, प्रभावी एवं सर्व स्वीकार्य होने के कारण मुख्य धारा में लाने के प्रयास किये जा रहे हैं। एतदर्थ आयुष संस्थाओं के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए और अधिक आर्थिक अनुदान एवं संसाधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं जिससे समग्र स्वास्थ्य प्राप्ति के लक्ष्य में इन पद्धतियों की भूमिका व उपयोगिता सुनिश्चित की जा सके।

1.2 आयुष पद्धतियों की आधारभूत संरचना के सम्बन्ध में राजस्थान राज्य देश के अग्रणी राज्यों में है जहां आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का व्यापक आधार एवं विस्तार है। राजस्थान सांस्कृतिक एवं भौगोलिक दृष्टि से एक विशाल एवं जैव विविधतापूर्ण राज्य है, जहां वनौषधियों की अनेक प्रजातियां पाई जाती है, जिनका जनसामान्य द्वारा पारम्परिक रूप से स्वास्थ्य लाभ हेतु उपयोग किया जाता रहा है। आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के प्रति राज्य की जनता में स्वीकार्यता एवं विश्वास होने के कारण राज्य सरकार द्वारा आमजन की भावना के अनुरूप राज्य में आयुष को प्रोत्साहित करने एवं इसके आधारभूत ढांचे को विकसित करने के विशेष प्रयास किये हैं।

1.3 राज्य में आयुष प्रशासनिक ढांचे के अन्तर्गत आयुष मंत्रालय, प्रशासनिक विभाग, राज्य स्तर पर आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथिक के पृथक–पृथक निदेशालय, संभाग स्तर पर उपनिदेशक कार्यालय, जिला स्तर पर जिला आयुर्वेद अधिकारी कार्यालय, औषध निर्माणशालाओं के प्रबंधन के लिए प्रबंधक रसायनशाला व प्रभारी अधिकारी रसायनशाला तथा निजी औषध निर्माण शालाओं के पर्यवेक्षण के लिए सहायक औषध नियंत्रक तथा औषध निरीक्षक आदि कार्यरत है। इनके अलावा राज्य में आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सकों के पंजीयन हेतु बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन, होम्योपैथिक चिकित्सकों के पंजीयन हेतु होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड, वनौषधियों के संरक्षण संवर्धन एवं विपणन कार्यों के लिए स्टेट मेडिसिनल प्लान्टेशन बोर्ड, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के विकास एवं संवर्धन हेतु प्राकृतिक चिकित्सा विकास बोर्ड तथा आयुष नर्सेज़ के पंजीयन हेतु राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद् कार्यरत है।

1.4 राज्य में आयुष चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से जनसामान्य को चिकित्सा सेवा प्रदान करने हेतु आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के 118 चिकित्सालय एवं 3577 औषधालय, होम्योपैथिक चिकित्सा के 06 चिकित्सालय एवं 188 औषधालय, यूनानी चिकित्सा के 11 चिकित्सालय एवं 131 औषधालय, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के 03 चिकित्सालय एवं 03 औषधालय तथा जिला चिकित्सालयों में 33 योग प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र संचालित है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के अन्तर्गत 1100 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयुष चिकित्सा केन्द्र संचालित हैं तथा सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आयुष चिकित्सा सेवा के लिए आयुर्वेद की 07 चल चिकित्सा इकाईयां तथा होम्योपैथिक की 02 चल चिकित्सा इकाईयां संचालित है। राज्य में आयुर्वेद के 9746 चिकित्सक, होम्योपैथिक के 7251 चिकित्सक तथा यूनानी के 914 चिकित्सक पंजीकृत है।

1.5 राज्य में आयुष शिक्षण एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, केन्द्र द्वारा संचालित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय सहित 09 आयुर्वेद महाविद्यालय, 03 योग प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय, 08 होम्योपैथिक महाविद्यालय, 02 यूनानी महाविद्यालय तथा 28 आयुष नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है।

1.6 राज्य में आयुर्वेद एवं यूनानी औषधियों के निर्माण के लिए 05 आयुर्वेद रसायनशालायें राजकीय स्तर पर संचालित की जा रही है तथा 356 रसायनशालाएं निजी क्षेत्र में संचालित है। रसायनशालाओं के अनुज्ञापन, संचालन एवं निरीक्षण हेतु अनुज्ञापन अधिकारी, सहायक औषध नियंत्रक एवं औषध निरीक्षक द्वारा कार्य सम्पादन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य में औषधियों के परीक्षण एवं मानकीकरण हेतु एक औषध परीक्षण प्रयोगशाला, अजमेर में स्थापित है।

1.7 राज्य में जड़ी–बूटियों के उत्पादन, विपणन, संवर्द्धन एवं संग्रहण कार्यों को समुन्नत करने हेतु राज्य स्तर पर एक औषध पादप मण्डल का गठन वर्ष 2002 में हुआ है जो निरन्तर कार्यरत है।

1.8 इस प्रकार राज्य में आयुष चिकित्सा पद्धतियों का एक विस्तृत ढांचा उपलब्ध है, किन्तु व्यापक संरचना के बावजूद भी समुचित नीति के अभाव में आयुष चिकित्सा पद्धतियों की सेवाओं का अधिकतम लाभ राज्य की जनता के स्वास्थ्य संरक्षण, संवर्द्धन एवं रोगोपचार में नहीं हो पाया है। अतः इसको दृष्टिगत रखते हुए इन पद्धतियों के सुनियोजित विकास एवं कार्यसंस्कृति विकसित करने हेतु ''राजस्थान राज्य आयुष नीति 2017'' को प्रभाव में लाया जा रहा है।

2. आयुष नीति के उद्देश्य :– इस नीति के मूल उद्देश्य निम्न हैं :–

1. जनसामान्य को आयुष चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से स्वास्थ्य संरक्षण, स्वास्थ्य संवर्धन एवं रोगोपचार हेतु गुणात्मक सेवायें प्रदान करना व स्वास्थ्य सुविधाओं को उनकी पंहुच में लाना।
2. आयुष चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में शैक्षणिक गुणवत्ता में उन्नयन, समसामयिक पाठ्यक्रमों की संरचना, आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि एवं अनुसंधान परक गति विधियों को प्रोत्साहित करना।
3. आमजन को सुरक्षित, सस्ती व उच्च गुणवत्तापूर्ण आयुष औषधि उपलब्ध करवाना।
4. मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण औषध निर्माण हेतु गुणवत्तायुक्त जड़ी बूटियों का संरक्षण, उत्पादन, विपणन, घरेलू व निर्यात हेतु प्रचुर उपलब्धता सुनिश्चित करना।
5. राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों में राज्य में उपलब्ध आयुष के आधारभूत ढांचे एवं मानव संसाधन का उपयोग सुनिश्चित कर स्वास्थ्य सेवा प्रदाता तंत्र को विकसित करना।
6. जीवनशैली जनित रोगों एवं जीर्ण रोगो में प्रभावी आयुष चिकित्सा विकसित करना एवं उपलब्ध आयुष औषधियों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करना।
7. आयुष चिकित्सा पद्धतियों के प्रति जनसामान्य में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु विषयवस्तु प्रचार सामग्री एवं विभिन्न माध्यमों का निर्धारण कर कार्ययोजना बनाना।

3. कार्यनीति (Strategies) :– आयुष नीति के मूल उद्देश्यों की उपलब्धि निम्नानुसार सुनिश्चित की जावेगी –

3.1.– आयुष चिकित्सा सेवा – वर्तमान में आयुष विभाग में संचालित चिकित्सालयों/औषधालयों की आवश्यकता एवं स्थान के सम्यक् मानदण्ड निर्धारित नहीं होने के कारण अनेक चिकित्सालय अनियोजित रूप से छोटे–छोटे गांवों में संचालित है, जबकि अनेक ब्लॉक स्तर पर आयुष चिकित्सालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अतः छोटे गांवो में संचालित चिकित्सालयों को ब्लॉक

स्तर पर स्थानान्तरित करके अथवा चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक ब्लॉक पर नवीन ब्लॉक आयुष चिकित्सालय खोलकर संचालित किया जावेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम दूरी पर/कम जनसंख्या पर, आयुष औषधालय संचालित हैं, जिससे उनकी सम्यक् उपयोगिता सिद्ध नहीं हो रही है। कम दूरी पर स्थित इन औषधालयों को उसी विधानसभा क्षेत्र के अधिक जनसंख्या वाले ग्राम पंचायत मुख्यालय/उपतहसील/तहसील स्तर पर स्थानान्तरित किया जावेगा जिससे बहुसंख्यक आबादी को आयुष चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। वर्तमान में संचालित औषधालयों को मानक के अनुरूप विकसित किया जायेगा एवं नवीन औषधालय चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर मानक के अनुरूप खोले जायेंगे।

3.2 राज्य में वर्तमान में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत 1100 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक व जिला चिकित्सालयों पर आयुष चिकित्सा केन्द्र संचालित है, इसी तर्ज पर शेष रहे 'प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर' जहां आयुष चिकित्सा केन्द्र स्थापित नहीं है वहां चरणबद्ध तरीके से नवीन आयुष चिकित्सा केन्द्र खोले जायेंगे।

3.3 अनेक स्थानों पर प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ''राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन'' एवं ''एक छत के नीचे'' योजना के अन्तर्गत आयुष चिकित्सा केन्द्र संचालित हैं। इसके अतिरिक्त कई स्थानों पर आयुष विभाग द्वारा भी औषधालय/चिकित्सालय चलाये जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जिन स्थानों पर आयुष चिकित्सा केन्द्र एवं विभागीय औषधालय दोनों संचालित हो रहे हैं उनमें से विभागीय औषधालय को उसी विधानसभा क्षेत्र में अन्यत्र उपयुक्त स्थान पर स्थानान्तरित किया जायेगा।

परन्तु ब्लॉक स्तर पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा संचालित आयुष चिकित्सा केन्द्र व विभागीय औषधालय दोनों होने की स्थिति में दोनों ही यथावत चलते रहेंगे व ब्लॉक स्तरीय विभागीय औषधालय को विशेषज्ञ सेवाओं/सुविधाओं सहित ब्लॉक आयुष चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।

3.4 राज्य में आयुष चिकित्सा संस्थानों के चार स्तर बनाये जायेंगे यथा – राज्य आयुष चिकित्सालय, जिला आयुष चिकित्सालय, ब्लॉक आयुष चिकित्सालय एवं ग्राम पंचायत स्तर पर औषधालय।

(अ) राज्य आयुष चिकित्सालय :– प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर एक राज्य स्तरीय आयुष चिकित्सालय संचालित किया जायेगा। जिन सम्भाग मुख्यालयों पर आयुष महाविद्यालय संचालित है, वहां महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालय को राज्य स्तरीय चिकित्सालय के रूप में मान्यता प्रदान की जायेगी एवं जिन सम्भाग मुख्यालयों पर आयुष महाविद्यालय वर्तमान में नहीं है, वहां संचालित जिला आयुष चिकित्सालयों को राज्य स्तरीय आयुष चिकित्सालय के रूप में विकसित किया जायेगा।

(ब) जिला आयुष चिकित्सालय :– राज्य के प्रत्येक जिला स्तर पर संचालित आयुष चिकित्सालयों को जिला आयुष चिकित्सालय के रूप में विकसित किया जायेगा, ये चिकित्सालय विशेषज्ञ सेवाओं एवं तत्सम्बन्धी सुविधाओं से परिपूर्ण होंगे।

(स) ब्लॉक आयुष चिकित्सालय :– प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक आयुष चिकित्सालय स्थापित किये जायेंगे, ये चिकित्सालय विशेषज्ञ सेवाओं एवं तत्सम्बन्धी सुविधाओं से परिपूर्ण होंगे।

(द) औषधालय :– प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर औषधालय का संचालन होगा जिन ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर औषधालय संचालित नहीं है वहां समानीकरण के तहत गैर पंचायत मुख्यालय से पंचायत मुख्यालय पर औषधालय स्थानान्तरित किये जायेंगे या चरणबद्ध तरीके से नवीन औषधालय खोले जायेंगे।

3.5 – राज्य आयुष चिकित्सालय, जिला आयुष चिकित्सालय, ब्लॉक आयुष चिकित्सालय एवं औषधालय के लिए भूमि, भवन, फर्नीचर, उपकरण एवं स्टाफ व सुविधाओं के लिये न्यूनतम मानदण्ड निम्नानुसार निर्धारण करके जनसामान्य के स्वास्थ्य हेतु इन चिकित्सा संस्थानों को अधिक सुविधा संपन्न बनाया जायेगा।

3.5.1 राज्य आयुष चिकित्सालय के मानक (51 से 100 शय्यायुक्त)

क्र.सं.	मद	न्यूनतम मानदण्ड	विशेष विवरण
1.	नवीन चिकित्सालय हेतु मानदण्ड	चिकित्सालय (Hospitals) के पूर्व में निर्धारित मानदण्डों को आधार मानते हुए निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है – • राज्य के प्रत्येक सम्भाग मुख्यालय में हो। • भवन की व्यवस्था मानदण्डों के अनुसार हो। • बजट में प्रावधान किया गया हो।	जिला स्तर पर वर्तमान में संचालित चिकित्सालय को प्राथमिकता से क्रमोन्नत किया जावेगा अथवा नवीन खोला जावेगा।
2.	स्टॉफ	(चिकित्साधिकारी 13 पद) 1. चिकित्सालय अधीक्षक – 1 पद 2. विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी (एम.डी.) – 8 पद (कायचिकित्सा, पंचकर्म, शल्यतंत्र, शालाक्यतंत्र, स्त्री एवं प्रसूति रोग, बालरोग, रोग एवं विकृति विज्ञान, स्वास्थ्य संरक्षण (सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए)) 3. चिकित्साधिकारी – 4 पद 4. नर्स/कम्पाउण्डर – 35 पद (नर्सिंग अधीक्षक – 1) 5. सहा. नर्सिंग अधीक्षक – 1 6. वरिष्ठ लिपिक – 1 पद 7. कनिष्ठ लिपिक – 2 पद 8. लेखाकार – 1 पद 9. परिचारक – 20 पद 10. पाचक – 2 पद 11. हरिजन – 3 पद 12. रजक (धोबी) – 2 पद 13. इलेक्ट्रिशियन तथा प्लम्बर– 1–1पद 14. माली – 02 पद	परिचारक के पद स्वीकृत नहीं होने/रिक्त होने की स्थिति में नियत पारिश्रमिक के माध्यम से सफाई व्यवस्था करवाया जाना।
3.	भूमि	5000 वर्ग गज	

4.	भवन	निर्मित क्षेत्रफल – 25000 वर्गफीट चिकित्सालय	कक्ष – प्रमुख चिकित्साधिकारी कक्ष – 1 (एक) 300 वर्ग फीट मय शौचालय विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी कक्ष – 8 (आठ) 180 वर्गफीट मय शौचालय (180x7=1260) चिकित्साधिकारी कक्ष – 4 (चार) 180 वर्ग फीट मय शौचालय बाथरूम (180x2=360) औषधी वितरण कम रजिस्ट्रेशन कक्ष 1 (एक) 400 वर्गफीट औषध भण्डार कक्ष – 1 (एक) 300 वर्गफीट सामान्य भण्डार कक्ष – 1 (एक) 400 वर्गफीट कनिष्ठ लिपिक कार्यालय कक्ष – 1(एक) 225 वर्गफीट लेखाकार कक्ष – 1(एक) 180 वर्गफीट रोगी प्रतीक्षा हॉल कम कॉमन हॉल – 1(एक) 1200 वर्गफीट ऑपरेशन थियेटर – 3 (तीन कक्ष) 180 वर्ग फीट (180x3=540) प्रयोगशाला कक्ष – 1 (एक) 400 वर्गफीट शल्य/ड्रेसिंग कक्ष – 1 (एक) 150 वर्गफीट पंचकर्म उपचार कक्ष – 5 (पांच) 200 वर्गफीट मय शौचालय बाथरूम (200x5=1000) योग एवं प्राकृतिक कक्ष – 1 (एक) 1500 वर्गफीट नर्सिंग अधीक्षक कक्ष –1 (एक) 180 वर्गफीट मय शौचालय बाथरूम नर्सिंग सहायक अधीक्षक कक्ष–1 (एक) 180 वर्गफीट मय शौचालय बाथरूम

			नर्सिंग कक्ष – 1 (180 वर्ग फीट मय शौचालय बाथरूम) शौचालय बाथरूम – 5 (पांच) पुरुष 100 वर्गफीट (100x5=500) शौचालय बाथरूम – 5 (पांच) महिला 100 वर्गफीट (100x5=500) महिला वार्ड–6 (छः) 600 वर्गफीट मय शौचालय बाथरूम (600x6=3600) कॉट्रेज वार्ड – 6 (छः) 200 वर्गफीट (20x6=1200) चिकित्सक ड्यूटी रूम – 2 (दो) 180 वर्गफीट (180x2=360) मोर्चरी – 1(एक) 200 वर्गफीट रसोई – 250 वर्गफीट चारदीवारी – लगभग 8000 वर्गफीट
		आवास	आवास – चिकित्सक आवास – 05 यूनिट, कमरे 02 शौचालय, बाथरूम, किचन, लॉबी (कुल निर्मित) क्षेत्र 1800 वर्गफीट (1800x5=9000) नर्स/कम्पा. आवास – 05 यूनिट कमरा 02, शौचालय, बाथरूम, किचन, लॉबी (कुल निर्मित) क्षेत्र 1200 वर्गफीट (1200x5=6000) परिचारक – 2 कमरा, 600 वर्गफीट शौचालय बाथरूम, (600x2=1200) गार्डरूम – 1 (एक) 200 वगफीट मय शौचालय
		पानी एवं बिजली व्यवस्था	निर्मित क्षेत्र में पी.डब्ल्यू.डी. नोर्म्स के अनुसार सुचारू व्यवस्था किया जाना।

5.	औषध	36000 रोगी x@10/-= Rs. 360000/- (बहिरंग के लिये) 10000 रोगी x@30/-= Rs. 300000/- (अन्तरंग के लिये) 1800 रोगी पंचकर्म x@100/- =180000/- 1800 रोगी क्षारसूत्र x@100/- =180000/-	10 रू. प्रति रोगी प्रतिदिन के अनुसार 30 रू. प्रति रोगी प्रतिदिन के अनुसार 100 रू. प्रति रोगी प्रतिदिन के अनुसार 100 रू. प्रति रोगी प्रतिदिन के अनुसार
6.	फर्नीचर एवं फिक्सर	चिकित्सक कक्ष हेतु –	ऑफिसर टेबल 12 नग रिवॉल्विंग चेयर 12 नग विज़िटर्स चेयर 72 नग रिवॉल्विंग स्टूल 12 नग रोगी परीक्षण टेबल 12 नग मय कर्टेन फुटरेस्ट 12 नग अलमारी बड़ी 12 नग कूलर 12 नग हीटर 12 नग
		औषध वितरण कक्ष हेतु	औषध वितरण टेबल 4 नग औषा संधारण पात्र 300 नग (1000 ग्राम 100 नग, 500 ग्राम 100 नग 250 ग्राम 100 नग) रेक्स बड़ी 20 नग कुर्सी 20 नग ऑफिस टेबल छोटी 10 नग अलमारी छोटी 10 नग
		नर्सिंग कक्ष हेतु	टेबल 10 नग कुर्सी 40 नग पलंग 6 नग
		कार्यालय कक्ष हेतु	ऑफिस टेबल 6 नग कुर्सी 20 नग अलमारी 8 बड़ी अलमारी 8 छोटी

		भण्डार कक्ष हेतु	अलमारी बड़ी 10 नग रैक्स बड़ी 15 नग
		शल्य/ड्रेसिंग कक्ष हेतु	बैंच 2 नग ड्रेसिंग टेबल 2 नग रिवॉल्विंग स्टूल 2 नग सर्जिकल टेबल विद मेकन टोस 2 नग कुर्सी 2 नग पलंग 2 नग मय गद्दा व तकीया सहित
		पंचकर्म उपचार कक्ष हेतु	पंचकर्म अभ्यंग के लिये टेबल 4 नग
		रोगी प्रतीक्षा हॉल कम कॉमन हॉल हेतु	बैंच 12 नग
		आतुरालय (वार्ड) के लिये	पलंग – 100 नग मय गद्दे व तकिये कम्बल व चादर – 200 नग बेड साईड लॉक – 100 नग बैंच – 100 नग (6x2 फीट) कूलर – 20 नग
		रसोई (पथ्य निर्माण हेतु)	गैस चूल्हा/इंडक्शन चूल्हा एवं रसोई सम्बन्धी आवश्यक सामान
		चिकित्सक आवास हेतु	पलंग 2 नग/कुर्सी 4 नग, टेबल 1 नग, कूलर 2 नग
		नर्स/कम्पा. व परिचारक आवास हेतु	पलंग 2 नग/कुर्सी 4 नग, टेबल 2 नग, कूलर 2 नग
7.	उपकरण	परीक्षण सम्बन्धी उपकरण	बी.पी. इन्स्ट्रूमेंट 15 नग स्टेथेस्कोप 15 नग थर्मामीटर 15 नग इ.एन.टी. सेट 15 नग वेइंग मशीन 15 नग टॉर्च 15 नग बेबी वेइंग मशीन 15 नग
		ड्रेसिंग सम्बन्धी उपकरण	ड्रेसिंग ड्रम 5 नग ड्रेसिंग ट्रे 5 नग किडनी ट्रे 8 नग स्टेलाईजर 4 नग फॉर सैप्स स्टेट, कर्वड 20–20

			नग चिटिल फॉर सेप्स 10 नग सिजर्स 10 नग डस्टबिन 20 नग
		उपचार सम्बन्धी उपकरण	खरल मूसली 4 नग (लौहे की) इमाम दस्ता 2 नग ग्राइंडर 2 जार वाला भगोना, चम्मच, स्टील, केतली 4–4 नग इंडक्शन चूल्हा 4 नग हीटर 4 नग मेजरिंग ग्लास 4 नग इलेक्ट्रिक मेजरिंग स्केल 4 नग स्वेदन बॉक्स 2 नग स्वेदन यंत्र 2 नग बस्ती यंत्र 2 नग वमन पीठ 2 नग शिरोधारा यंत्र 2 नग क्षारसूत्र ऑपरेशन थियेटर में आवश्यक सभी उपकरण स्ट्रेचर 2 नग व्हील चेयर 2 नग
8.	पथ्य	विभाग द्वारा निर्धारित पथ्य	Rs. 70000 (वार्षिक)
9.	वार्षिक कंटीजेंसी	Recurring grand : Rs. 500000/- प्रतिवर्ष	पानी, बिजली, सफाई/रंग रोगन/स्टेशनरी, सामान्य उपचार कार्य सामग्री, फर्नीचर व उपकरण मरम्मत कार्य एवं अन्य

3.6.2 जिला आयुष चिकित्सालय के मानक (25 से 50 शय्यायुक्त)

क्र. सं.	मद	न्यूनतम मानदण्ड	विशेष विवरण
1.	नवीन चिकित्सालय हेतु मानदण्ड	चिकित्सालय (Hospital) के पूर्व में निर्धारित मानदण्डों को आधार मानते हुए निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है – • राज्य के प्रत्येक जिला स्तर पर हो। • भवन की व्यवस्था मानदण्डों के अनुसार हो। • बजट में प्रावधान किया गया हो।	जिला स्तर पर वर्तमान में संचालित चिकित्सालय को ही मानदण्डों के अनुसार संसाधन उपलब्ध करवाकर विकसित किया जायेगा।
2.	स्टॉफ	(चिकित्साधिकारी 07 पद) 1. प्रमुख चिकित्साधिकारी –1 पद 2. विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी (एम.डी.) – 4 पद (कायचिकित्सा/पंचकर्म, शल्यतंत्र/शालाक्यतंत्र, स्त्रीरोग/बालरोग, रोगनिदान) 3. चिकित्साधिकारी – 2 पद 4. नर्स/कम्पाउण्डर – 10 पद 5. परिचारक – 06 पद 6. वरिष्ठ लिपिक – 1 पद 7. कनिष्ठ लिपिक – 1 पद 8. गार्ड – 4 पद 9. माली – 1 पद 10. पाचक – 2 पद 11. रजक (धोबी) – 1 पद 12. इलेक्ट्रिशियन – 1पद	परिचारक के पद स्वीकृत नहीं होने/रिक्त होने की स्थिति में नियत पारिश्रमिक के माध्यम से सफाई व्यवस्था करवाया जाना।
3.	भूमि	3500 वर्ग गज	

4.	भवन	निर्मित क्षेत्रफल – 21000 वर्गफीट चिकित्सालय	कक्ष – वरिष्ठ चिकित्साधिकारी कक्ष – 1 (एक) 300 वर्ग फीट मय शौचालय विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी कक्ष – 4 (चार) 180 वर्गफीट मय शौचालय (180x4=720) चिकित्साधिकारी कक्ष – 2 (दो) 180 वर्ग फीट मय शौचालय बाथरूम (180x2=360) औषधी वितरण कम रजिस्ट्रेशन कक्ष 1 (एक) 250 वर्गफीट औषध भण्डार कक्ष – 1 (एक) 150 वर्गफीट सामान्य भण्डार कक्ष – 1 (एक) 400 वर्गफीट कनिष्ठ लिपिक कार्यालय कक्ष – 1(एक) 225 वर्गफीट रोगी प्रतीक्षा हॉल कम कॉमन हॉल – 1(एक) 900 वर्गफीट ऑपरेशन थियेटर – 3 (तीन कक्ष) 180 वर्ग फीट (180x3=540) प्रयोगशाला कक्ष – 1 (एक) 400 वर्गफीट शल्य/ड्रेसिंग कक्ष – 1 (एक) 150 वर्गफीट पंचकर्म उपचार कक्ष – 5 (पांच) 200 वर्गफीट मय शौचालय बाथरूम (200x5=1000) योग एवं प्राकृतिक कक्ष – 1 (एक) 1500 वर्गफीट नर्सिंग कक्ष –1 (एक) 180 वर्गफीट मय शौचालय बाथरूम शौचालय बाथरूम पुरुष एवं महिला – 100 वर्गफीट (100x2=200) महिला वार्ड–3 (तीन) 600 वर्गफीट मय शौचालय बाथरूम (600x3=1800) पुरुष वार्ड–3 (तीन) 600 वर्गफीट मय शौचालय बाथरूम (600x3=1800) कॉट्रेज वार्ड – 4 (चार) 200 वर्गफीट (200x4=800) मोर्चरी – 1(एक) 200 वर्गफीट रसोई – 120 वर्गफीट चारदीवारी – लगभग 5000 वर्गफीट
		आवास	आवास – चिकित्सक आवास – 04 यूनिट, कमरे 02 शौचालय, बाथरूम, किचन, लॉबी (कुल निर्मित) क्षेत्र 1200 वर्गफीट (1200x4=4800)

			नर्स/कम्पा. आवास – 04 यूनिट कमरा 02, शौचालय, बाथरूम, किचन, लॉबी (कुल निर्मित) क्षेत्र 800 वर्गफीट (800x4=3200) गार्डरूम – 1 (एक) 200 वर्गफीट मय शौचालय परिचारक – 1(एक) 250 वर्गफीट मय शौचालय, बाथरूम
		पानी एवं बिजली व्यवस्था	निर्मित क्षेत्र में पी.डब्ल्यू.डी. नोर्म्स के अनुसार सुचारू व्यवस्था किया जाना।
5.	औषध	18000 रोगी x@10/-= Rs. 180000/- (बहिरंग के लिये) 6000 रोगी x@30/-= Rs. 180000/- (अन्तरंग के लिये) 1000 रोगी पंचकर्म x@100/-=100000/- 1000 रोगी क्षारसूत्र x@100/-=100000/-	10 रू. प्रति रोगी प्रतिदिन के अनुसार 30 रू. प्रति रोगी प्रतिदिन के अनुसार 100 रू. प्रति रोगी प्रतिदिन के अनुसार 100 रू. प्रति रोगी प्रतिदिन के अनुसार
6.	फर्नीचर एवं फिक्सर	चिकित्सक कक्ष हेतु –	ऑफिसर टेबल 07 नग रिवॉल्विंग चेयर 07 नग विज़िटर्स चेयर 28 नग रिवॉल्विंग स्टूल 07 नग रोगी परीक्षण टेबल 07 नग मय कर्टेन फुटरेस्ट 07 नग अलमारी बड़ी 07 नग कूलर 07 नग हीटर 07 नग
		औषध वितरण कक्ष हेतु	औषध वितरण टेबल 02 नग औषध संधारण पात्र 150 नग (1000 ग्राम 40 नग, 500 ग्राम 60 नग 250 ग्राम 50 नग) रेक्स बड़ी 05 नग कुर्सी 04 नग ऑफिस टेबल छोटी 02 नग अलमारी छोटी 02 नग
		नर्सिंग कक्ष हेतु	टेबल 02 नग कुर्सी 06 नग पलंग 02 नग

		कार्यालय कक्ष हेतु	ऑफिस टेबल 02 नग कुर्सी 08 नग अलमारी 04 बड़ी अलमारी 04 छोटी
		भण्डार कक्ष हेतु	अलमारी बड़ी 06 नग रैक्स बड़ी 10 नग
		शल्य/ड्रेसिंग कक्ष हेतु	बैंच 1 नग ड्रेसिंग टेबल 1 नग रिवॉल्विंग स्टूल 1 नग सर्जिकल टेबल विद मेकन टोस 1 नग कुर्सी 1 नग पलंग 1 नग मय गद्दा व तकीया सहित
		पंचकर्म उपचार कक्ष हेतु	पंचकर्म अभ्यंग के लिये टेबल 4 नग
		रोगी प्रतीक्षा हॉल कम कॉमन हॉल हेतु	बैंच 4 नग
		आतुरालय (वार्ड) के लिये	पलंग – 50 नग मय गद्दे व तकिये कम्बल व चादर – 100 नग बेड साईड लॉक – 50 नग बैंच – 50 नग (6x2 फीट) कूलर – 12 नग
		रसोई (पथ्य निर्माण हेतु)	गैस चूल्हा/इंडक्शन चूल्हा एवं रसोई सम्बन्धी आवश्यक सामान
		चिकित्सक आवास हेतु	पलंग 2 नग/कुर्सी 4 नग, टेबल 1 नग, कूलर 2 नग प्रति आवास
		नर्स/कम्पा. व परिचारक आवास हेतु	पलंग 1 नग/कुर्सी 2 नग, टेबल 1 नग, कूलर 1 नग
7.	उपकरण	परीक्षण सम्बन्धी उपकरण	बी.पी. इन्स्ट्रूमेंट 6 नग स्टेथेस्कोप 6 नग थर्मामीटर 6 नग इ.एन.टी. सेट 6 नग वेइंग मशीन 6 नग टॉर्च 6 नग बेबी वेइंग मशीन 6 नग प्रयोगशाला के लिए जांच हेतु सभी आवश्यक उपकरण
		ड्रेसिंग सम्बन्धी उपकरण	ड्रेसिंग ड्रम 4 नग ड्रेसिंग ट्रे 4 नग किडनी ट्रे 4 नग

			स्टेलाईजर 2 नग फॉर सैप्स स्टेट, कर्वड 4–4 नग चिटिल फॉर सेप्स 2 नग सिजर्स 4 नग डस्टबिन 8 नग
		उपचार सम्बन्धी उपकरण	खरल मूसली 4 नग (लौहे की) इमाम दस्ता 2 नग ग्राइंडर 2 जार वाला भगोना, चम्मच, स्टील, केतली 4–4 नग इंडक्शन चूल्हा 2 नग हीटर 2 नग मेजरिंग ग्लास 2 नग इलेक्ट्रिक मेजरिंग स्केल 2 नग स्वेदन बॉक्स 2 नग स्वेदन यंत्र 2 नग बस्ती यंत्र 2 नग वमन पीठ 2 नग शिरोधारा यंत्र 2 नग क्षारसूत्र ऑपरेशन थियेटर में आवश्यक सभी उपकरण स्ट्रेचर 2 नग व्हील चेयर 2 नग
8.	पथ्य	विभाग द्वारा निर्धारित पथ्य	Rs. 70000 (वार्षिक)
9.	वार्षिक कंटीजेंसी	Recurring grand : Rs. 200000/- प्रतिवर्ष	पानी, बिजली, सफाई/रंग रोगन/स्टेशनरी, सामान्य उपचार कार्य सामग्री, फर्नीचर व उपकरण मरम्मत कार्य एवं अन्य

3.6.3 ब्लॉक आयुष चिकित्सालय के मानक (10 से 25 शय्यायुक्त)

क्र. सं.	मद	न्यूनतम मानदण्ड	विशेष विवरण
1.	नवीन चिकित्सालय हेतु मानदण्ड	चिकित्सालय (Hospital) के पूर्व में निर्धारित मानदण्डों को आधार मानते हुए निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है – • राज्य के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर हो। • भवन की व्यवस्था मानदण्डों के अनुसार हो। • बजट में प्रावधान किया गया हो।	ब्लॉक स्तर पर वर्तमान में संचालित औषधालय/चिकित्सालय को ही मानदण्डों के अनुसार संसाधन उपलब्ध करवाकर विकसित किया जायेगा। जहां पर आयुष चिकित्सा केन्द्र नहीं है वहां पर निर्धारित मानदण्डों के अनुसार नवीन ब्लॉक आयुष चिकित्सालय खोले जायेंगे।
2.	स्टॉफ	(चिकित्सक 07 पद) 1. वरिष्ठ चिकित्साधिकारी – 1 पद 2. विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी (एम.डी.) – 4पद (कायचिकित्सा/पंचकर्म, शल्यतंत्र/शालाक्यतंत्र, स्त्री एवं प्रसूति रोग/बालरोग, स्वास्थ्य संरक्षण (सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए)) 3. चिकित्साधिकारी – 2 पद 4. नर्स/कम्पाउण्डर – 10 पद 5. परिचारक – 04 पद 6. कनिष्ठ लिपिक – 1 पद 7. गार्ड – 2 पद 8. माली – 1 पद 9. पाचक – 1 पद	परिचारक के पद स्वीकृत नहीं होने/रिक्त होने की स्थिति में नियत पारिश्रमिक के माध्यम से सफाई व्यवस्था करवाया जाना।
3.	भूमि	2500 वर्ग गज	
4.	भवन	निर्मित क्षेत्रफल – 18000 वर्गफीट चिकित्सालय	कक्ष – वरिष्ठ चिकित्साधिकारी कक्ष – 1 (एक) 300 वर्ग फीट मय शौचालय विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी कक्ष – 4 (चार) 180 वर्गफीट मय शौचालय (180x4=720) चिकित्साधिकारी कक्ष – 2 (दो) 180 वर्ग

			फीट मय शौचालय बाथरूम (180x2=360) औषधी वितरण कम रजिस्ट्रेशन कक्ष 1 (एक) 150 वर्गफीट औषध भण्डार कक्ष – 1 (एक) 150 वर्गफीट सामान्य भण्डार कक्ष – 1 (एक) 225 वर्गफीट कनिष्ठ लिपिक कार्यालय कक्ष – 1(एक) 180 वर्गफीट रोगी प्रतीक्षा हॉल कम कॉमन हॉल – 1(एक) 600 वर्गफीट शल्य ड्रेसिंग कक्ष – 1 (एक) 150 वर्गफीट ऑपरेशन थियेटर – 3 (तीन कक्ष) 180 वर्ग फीट (180x3=540) पंचकर्म उपचार कक्ष – 5 (पांच) 200 वर्गफीट मय शौचालय बाथरूम (200x5=1000) नर्सिंग कक्ष –1 (एक) 180 वर्गफीट मय शौचालय बाथरूम शौचालय बाथरूम पुरुष एवं महिला – 50 वर्गफीट (50x2=100) महिला वार्ड–2 (दो) 600 वर्गफीट मय शौचालय बाथरूम (600x2=1200) पुरुष वार्ड–2 (दो) 600 वर्गफीट मय शौचालय बाथरूम (600x2=1200) रसोई – 100 वर्गफीट चारदीवारी – लगभग 5000 वर्गफीट
		आवास	आवास – चिकित्सक आवास – 02 यूनिट, कमरे 02 शौचालय, बाथरूम, किचन, लॉबी (कुल निर्मित) क्षेत्र 1200 वर्गफीट (1200x2=2400) नर्स/कम्पा. आवास – 03 यूनिट कमरा 02, शौचालय, बाथरूम, किचन, लॉबी (कुल निर्मित) क्षेत्र 800 वर्गफीट (800x3=2400) गार्डरूम – 1 (एक) 200 वर्गफीट मय शौचालय

			परिचारक – 1(एक) 250 वर्गफीट मय शौचालय, बाथरूम
		पानी एवं बिजली व्यवस्था	निर्मित क्षेत्र में पी.डब्ल्यू.डी. नोर्म्स के अनुसार सुचारू व्यवस्था किया जाना।
5.	औषध	18000 रोगी x@10/-= Rs. 180000/- (बहिरंग के लिये) 3600 रोगी x@30/-= Rs. 108000/- (अन्तरंग के लिये) 1000 रोगी पंचकर्म x@100/- =100000/- 1000 रोगी क्षारसूत्र x@100/- =100000/-	10 रू. प्रति रोगी प्रतिदिन के अनुसार 30 रू. प्रति रोगी प्रतिदिन के अनुसार 100 रू. प्रति रोगी प्रतिदिन के अनुसार 100 रू. प्रति रोगी प्रतिदिन के अनुसार
6.	फर्नीचर एवं फिक्सर	चिकित्सक कक्ष हेतु –	ऑफिसर टेबल 07 नग रिवॉल्विंग चेयर 07 नग विज़िटर्स चेयर 28 नग रिवॉल्विंग स्टूल 7 नग रोगी परीक्षण टेबल 07 नग मय कर्टेन फुटरेस्ट 07 नग अलमारी बड़ी 07 नग कूलर 07 नग हीटर 07 नग
		औषध वितरण कक्ष हेतु	औषध वितरण टेबल 02 नग औषध संधारण पात्र 150 नग (1000 ग्राम 40 नग, 500 ग्राम 60 नग 250 ग्राम 50 नग) रेक्स बड़ी 05 नग कुर्सी 04 नग ऑफिस टेबल छोटी 02 नग अलमारी छोटी 02 नग
		नर्सिंग कक्ष हेतु	टेबल 01 नग कुर्सी 03 नग पलंग 01 नग
		कार्यालय कक्ष हेतु	ऑफिस टेबल 01 नग कुर्सी 04 नग अलमारी 02 बड़ी अलमारी 02 छोटी

		भण्डार कक्ष हेतु	अलमारी बड़ी 03 नग रैक्स बड़ी 5 नग
		शल्य/ड्रेसिंग कक्ष हेतु	बैंच 1 नग ड्रेसिंग टेबल 1 नग रिवॉल्विंग स्टूल 1 नग सर्जिकल टेबल विद मेकन टोस 1 नग कुर्सी 1 नग पलंग 1 नग मय गद्दा व तकीया सहित
		पंचकर्म उपचार कक्ष हेतु	पंचकर्म हेतु टेबल 2 नग
		रोगी प्रतीक्षा हॉल कम कॉमन हॉल हेतु	बैंच 4 नग
		आतुरालय (वार्ड) के लिये	पलंग – 10 नग मय गद्दे व तकिये कम्बल व चादर – 20 नग बेड साईड लॉक – 10 नग बैंच – 10 नग (6ग2 फीट) कूलर – 4 नग
		रसोई (पथ्य निर्माण हेतु)	गैस चूल्हा/इंडक्शन चूल्हा एवं रसोई सम्बन्धी आवश्यक सामान
		चिकित्सक आवास हेतु	पलंग 2 नग/कुर्सी 4 नग, टेबल 1 नग, कूलर 2 नग प्रति आवास
		नर्स/कम्पा. व परिचारक आवास हेतु	पलंग 1 नग/कुर्सी 2 नग, टेबल 1 नग, कूलर 1 नग
7.	उपकरण	परीक्षण सम्बन्धी उपकरण	बी.पी. इन्स्ट्रूमेंट 7 नग स्टेथेस्कोप 7 नग थर्मामीटर 7 नग इ.एन.टी. सेट 7 नग वेइंग मशीन 7 नग टॉर्च 7 नग बेबी वेइंग मशीन 7 नग
		ड्रेसिंग सम्बन्धी उपकरण	ड्रेसिंग ड्रम 2 नग ड्रेसिंग ट्रे 2 नग किडनी ट्रे 2 नग स्टेलाईजर 2 नग फॉर सैप्स स्टेट, कर्वड 2–2 नग चिटिल फॉर सेप्स 2 नग सिजर्स 2 नग डस्टबिन 4 नग

		उपचार सम्बन्धी उपकरण	खरल मूसली 2 नग (लौहे की) इमाम दस्ता 1 नग ग्राइंडर 1 जार वाला भगोना, चम्मच, स्टील, केतली 2–2 नग इंडक्शन चूल्हा 2 नग हीटर 2 नग मेजरिंग ग्लास 2 नग इलेक्ट्रिक मेजरिंग स्केल 2 नग स्वेदन बॉक्स 2 नग स्वेदन यंत्र 2 नग बस्ती यंत्र 1 नग वमन पीठ 1 नग शिरोधारा यंत्र 1 नग क्षारसूत्र ऑपरेशन थियेटर में आवश्यक सभी उपकरण स्ट्रेचर 1 नग व्हील चेयर 1 नग
8.	पथ्य	विभाग द्वारा निर्धारित पथ्य	Rs. 70000 (वार्षिक)
9.	वार्षिक कंटीजेंसी	Recurring grand : Rs. 100000/- प्रतिवर्ष	पानी, बिजली, सफाई/रंग रोगन/स्टेशनरी, सामान्य उपचार कार्य सामग्री, फर्नीचर व उपकरण मरम्मत कार्य एवं अन्य

3.6.4 आयुष औषधालय हेतु मानक

क्र. सं.	मद	न्यूनतम मानदण्ड	विशेष विवरण
1.	नवीन औषधालय हेतु मानदण्ड	औषधालय (Dispensary) के पूर्व में निर्धारित मानदण्डों को आधार मानते हुए निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है– • पंचायत मुख्यालय पर। • भवन की व्यवस्था मानदण्डों के अनुसार हो। • बजट में प्रावधान किया गया हो। • शहरी औषधालय मांग के अनुसार शहरी क्षेत्र में खोले जा सके।	
2.	स्टॉफ	1. चिकित्साधिकारी – 01 पद 2. नर्स/कम्पाउण्डर – 01 पद 3. परिचारक – 01 पद	परिचारक के पद स्वीकृत नहीं होने/रिक्त होने की स्थिति में नियत पारिश्रमिक के माध्यम से सफाई व्यवस्था करवाया जाना।
3.	भूमि	500 वर्ग गज शहरी क्षेत्र में 1000 वर्ग गज ग्रामीण क्षेत्र में	शहरी क्षेत्र में उपलब्धता के अनुसार न्यूनतम भूमि 250 वर्गगज निर्धारित की जा सकती है।
4.	भवन	निर्मित क्षेत्रफल – 3100 वर्गफीट शहरी क्षेत्र के लिए 5100 वर्गफीट ग्रामीण क्षेत्र के लिए	चिकित्सक कक्ष 01 (एक) 200 वर्गफीट मय शौचालय औषध वितरण कम रजिस्ट्रेशन कक्ष 01 (एक) 180 वर्गफीट भण्डार कक्ष 01 (एक) 150 वर्गफीट औषध भण्डार कक्ष – 01 (एक) 150 वर्गफीट रोगी प्रतीक्षा हॉल 01 (एक) 300 वर्गफीट ड्रेसिंग कक्ष 01 (एक) 150 वर्गफीट शौचालय (महिला एवं पुरुष) 01–01 (एक–एक) 100 वर्गफीट चारदीवारी 2000 वर्गफीट लगभग
		आवास	आवास – चिकित्सक आवास – 01 यूनिट, कमरे

			02 शौचालय, बाथरूम, किचन, लॉबी (कुल निर्मित) क्षेत्र 1200 वर्गफीट (1200x1=1200) नर्स/कम्पा. आवास – 01 यूनिट कमरा 02, शौचालय, बाथरूम, किचन, लॉबी (कुल निर्मित) क्षेत्र 800 वर्गफीट (800x1=800) परिचारक – 1(एक) 250 वर्गफीट मय शौचालय, बाथरूम
		पानी एवं बिजली व्यवस्था	निर्मित क्षेत्र में पी.डब्ल्यू.डी. नोर्म्स के अनुसार सुचारू व्यवस्था किया जाना।
5.	औषध	5000 रोगी x@10/-= Rs. 50000/- (बहिरंग के लिये)	10 रू. प्रति रोगी प्रतिदिन के अनुसार
6.	फर्नीचर एवं फिक्सर	चिकित्सक कक्ष हेतु –	ऑफिसर टेबल 01 नग रिवॉल्विंग चेयर 01 नग विज़िटर्स चेयर 4 नग रिवॉल्विंग स्टूल 1 नग रोगी परीक्षण टेबल 1 नग मय कर्टेन फुटरेस्ट 01 नग अलमारी बड़ी 01 नग कूलर 01 नग हीटर 01 नग
		औषध वितरण कक्ष हेतु	औषध वितरण टेबल 01 नग औषध संधारण पात्र 100 नग (1000 ग्राम 30 नग, 500 ग्राम 40 नग 250 ग्राम 30 नग) रेक्स बड़ी 03 नग कुर्सी 02 नग ऑफिस टेबल छोटी 01 नग अलमारी छोटी 01 नग
		भण्डार/औषध भण्डार कक्ष हेतु	अलमारी बड़ी 03 नग रैक्स बड़ी 07 नग
		शल्य/ड्रेसिंग कक्ष हेतु	बैंच 1 नग ड्रेसिंग टेबल 1 नग रिवॉल्विंग स्टूल 1 नग सर्जिकल टेबल विद मेकन टोस 1 नग कुर्सी 1 नग पलंग 1 नग मय गद्दा व तकीया सहित

		रोगी प्रतीक्षा हॉल कम कॉमन हॉल हेतु	बैंच 2 नग
		चिकित्सक आवास हेतु	पलंग 2 नग/कुर्सी 4 नग, टेबल 1 नग, कूलर 2 नग प्रति आवास
		नर्स/कम्पा. व परिचारक आवास हेतु	पलंग 1 नग/कुर्सी 2 नग, टेबल 1 नग, कूलर 1 नग
7.	उपकरण	परीक्षण सम्बन्धी उपकरण	बी.पी. इन्स्ट्रूमेंट 1 नग स्टेथेस्कोप 1 नग थर्मामीटर 1 नग इ.एन.टी. सेट 1 नग वेइंग मशीन 1 नग टॉर्च 1 नग बेबी वेइंग मशीन 1 नग
		ड्रेसिंग सम्बन्धी उपकरण	ड्रेसिंग ड्रम 1 नग ड्रेसिंग ट्रे 1 नग किडनी ट्रे 1 नग स्टेलाईजर 1 नग फॉर सैप्स स्टेट, कर्व्ड 2–2 नग चिटिल फॉर सेप्स 1 नग सिजर्स 2 नग डस्टबिन 2 नग
		उपचार सम्बन्धी उपकरण	खरल मूसली 1 नग (लौहे की) इमाम दस्ता 1 नग ग्राइंडर 1 जार वाला भगोना, चम्मच, स्टील, केतली 1–1 नग इंडक्शन चूल्हा 1 नग हीटर 1 नग मेजरिंग ग्लास 1 नग इलेक्ट्रिक मेजरिंग स्केल 1 नग
9.	वार्षिक कंटीजेंसी	Recurring grand : Rs. 20000/- प्रतिवर्ष	पानी, बिजली, सफाई/रंग रोगन/स्टेशनरी, सामान्य उपचार कार्य सामग्री, फर्नीचर व उपकरण मरम्मत कार्य एवं अन्य

3.7 वर्तमान में आयुष औषधालय/चिकित्सालयों में उक्त मानकों के अनुरूप भूमि, भवन, स्टॉफ, औषध एवं उपकरण इत्यादि उपलब्ध नहीं है, इन्हें आगामी वर्षों में चरणबद्ध तरीके से निर्धारित मानकों के अनुरूप विकसित किया जायेगा।

3.8 राज्य आयुष चिकित्सालय, जिला आयुष चिकित्सालय, ब्लॉक आयुष चिकित्सालय एवं औषधालयों द्वारा प्रदत्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं निम्नानुसार होंगी –

(अ) राज्य आयुष चिकित्सालय :– राज्य के प्रत्येक संभाग पर एक राज्य स्तरीय आयुष चिकित्सालय का संचालन किया जायेगा, जो सन्दर्भित (Referred) रोगियों की चिकित्सा हेतु एक सुविधा सम्पन्न एवं उन्नत केन्द्र होगा। इस चिकित्सालय में कायचिकित्सा, पंचकर्म, शल्यतंत्र, शालाक्यतंत्र, बालरोग, स्त्री एवं प्रसूति रोग, रोग एवं विकृति विज्ञान एवं स्वास्थ्य संरक्षण (सामुदायिक स्वास्थ्य हेतु) इत्यादि विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा, अन्तरंग एवं बहिरंग रोगियों को प्रदान की जायेंगी।

यह केन्द्र सम्भाग के चिकित्सालयों/औषधालयों से प्राप्त जैव सांख्यिकीय प्रतिदर्श (Bio-Statistical Data) के संकलन के आधार पर नैदानिक शोधपरक (Clinical Research) कार्य करेगा एवं टेली मेडिसिन के माध्यम से अन्य चिकित्सालयों को विशेषज्ञ परामर्श एवं सहायता प्रदान करेगा।

राज्य चिकित्सालय द्वारा जनसामान्य में स्वस्थजीवनशैली के अभ्यास को बढावा देने के लिये वेलनेस सेंटर भी संचालित किये जायेंगे।

(ब) जिला आयुष चिकित्सालय :– प्रत्येक जिला स्तर पर विशेषज्ञ सुविधाओं से युक्त आयुष चिकित्सालय विकसित किया जायेगा, जिसमें कायचिकित्सा/ पंचकर्म विशेषज्ञ, शल्यतंत्र विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति/बालरोग विशेषज्ञ तथा रोग एवं विकृति विज्ञान विशेषज्ञ सेवाओं का संचालन अन्तरंग एवं बहिरंग रोगियों हेतु किया जायेगा। जिला चिकित्सालय में नाड़ी, मल–मूत्र, रक्त इत्यादि की जांच हेतु एक प्रयोगशाला की स्थापना की जायेगी तथा पंचकर्म एवं क्षारसूत्र चिकित्सा हेतु आवश्यक सभी उपकरण एवं संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे। जिन जिलों में पर्यटकों की आवाजाही रहती है उन जिला चिकित्सालयों में ''चिकित्सा पर्यटन'' सुविधाओं को विकसित किया जावेगा।

(स) ब्लॉक आयुष चिकित्सालय :–

ब्लॉक आयुर्वेद चिकित्सालय में विशेषज्ञ सेवाओं एवं तद्नुरूप सुविधाओं को विकसित किया जायेगा। प्रत्येक ब्लॉक चिकित्सालय में पंचकर्म/कायचिकित्सा, शल्यतंत्र, स्त्री एवं

प्रसूति/बालरोग विशेषज्ञ सेवा (आंचल प्रसूता केन्द्र) तथा स्वास्थ्य संरक्षण (सामुदायिक स्वास्थ्य हेतु) विशेषज्ञ सेवाओं का संचालन अन्तरंग एवं बहिरंग रोगियों हेतु किया जायेगा।

यह चिकित्सालय, औषधालयों से रेफर किये गये रोगियों के लिए एक आदर्श चिकित्सालय होगा। ब्लॉक आयुष चिकित्सालय का प्रभारी जिला आयुर्वेद अधिकारी एवं औषधालयों के बीच योजक कड़ी का कार्य करेगा जो औषधालयों से सूचना का आदान प्रदान, आकस्मिक अवकाश स्वीकृती एवं आवश्यकता पड़ने पर औषधालय कार्यव्यवस्था हेतु अल्पावधि के लिये कर्मचारियों को ब्लॉक क्षेत्र में कार्य पर लगाया जा सकेगा।

ब्लॉक आयुष चिकित्सालय, क्षेत्र के औषधालयों की कार्य प्रणाली व लक्ष्यों पर नजर रखेगा व मासिक/समीक्षा बैठकों का आयोजन करेगा। ब्लॉक आयुष चिकित्सालयों को आयुष IEC केन्द्र के रूप में विकसित किया जावेगा जो नियमित रूप से ब्लॉक क्षेत्र के गांवों में दृश्य–श्रव्य माध्यमों से सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण के कार्य करेगा। एतदर्थ प्रत्येक ब्लॉक आयुष चिकित्सालय को प्रोजेक्टर व IEC सामग्री सम्पन्न बनाया जायेगा।

(द) औषधालय :– अद्यतन आयुष औषधालयों में विभिन्न तीव्र एवं जीर्ण रोगियों को आयुष चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, किन्तु अब इन औषधालयों में चिकित्सा सेवाओं के अतिरिक्त सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा से सम्बन्धित कार्यकलाप भी प्रारम्भ किये जायेंगे। औषधालय प्रभारी औषधालय स्थल पर एक ''स्वास्थ्य जागरूकता समूह'' का गठन करेगा जिसमें औषधालय क्षेत्र के लोक सेवक, जनप्रतिनिधि एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे। प्रभारी चिकित्साधिकारी इसका सदस्य सचिव होगा, यह समूह क्षेत्र में स्वच्छता, जीवनशैली, मातृ व शिशु स्वास्थ्य, जड़ी बूटियों एवं वनौषधियों के उपयोग इत्यादि की जानकारी जन सामान्य को देगा एवं प्रोत्साहित करेगा। ये कार्यक्रम ग्राम पंचायत की सभा में या औषधालय प्रांगण में आयोजित किये जायेंगे।

औषधालय का प्रभारी अधिकारी क्षेत्र की समस्त स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा एवं छात्रों/बालकों/किशोरियों/महिलाओं को दिनचर्या, योग, जीवनशैली, आहार–विहार, रक्ताल्पता, किशोरावस्था जन्य परिवर्तन एवं आयुर्वेद सिद्धान्तों का पालन कर स्वास्थ्य संरक्षण की जानकारी देगा।

प्रत्येक ब्लॉक के किसी एक गांव को ''आयुष ग्राम'' घोषित कर उसे आयुष जीवन शैली अपनाने एवं क्षेत्र की स्थानीय जड़ी बूटियों की पहचान कर उनके उपयोग के लिये ग्रामीण

स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षित करने व सामुदायिक स्वास्थ्य में आयुष औषधियों की भूमिका के प्रति जागरूक किया जायेगा।

3.9 राज्य/जिला/ब्लॉक स्तरीय आयुष चिकित्सालयों में प्रदत्त विशेषज्ञ सेवाओं के अन्तर्गत जो विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी पदस्थापित किये जायेंगे, वे तत्सम्बन्धित विषयों में स्नातकोत्तर उपाधिधारक होंगे यथा – राज्य स्तर पर कायचिकित्सा, पंचकर्म, शल्यतंत्र, शालाक्यतंत्र, बालरोग, स्त्री एवं प्रसूति रोग, रोग एवं विकृति विज्ञान विशिष्टता हेतु सम्बन्धित विषयों के स्नातकोत्तर उपाधिधारक एवं स्वास्थ्य संरक्षण (सामुदायिक स्वास्थ्य हेतु) विशेषज्ञ सेवाओं हेतु स्वस्थवृत्त अथवा मौलिक सिद्धान्त, द्रव्यगुण, शरीर क्रिया, शरीर रचना, अगदतंत्र, रसशास्त्र आदि विषयों में स्नातकोत्तर उपाधिधारक को पदस्थापित किया जायेगा तथा प्रदत्त विशेषज्ञ सेवाओं के अनुरूप ही चिकित्सालय में विशेषज्ञ के पदों का सृजन किया जाएगा। इन विशेषज्ञ पदों पर स्थानान्तरण हेतु सुस्पष्ट नीति निर्धारित की जायेगी एवं इन पदों पर वरिष्ठतानुसार तत्सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर उपाधिधारकों का ही स्थानान्तरण किया जायेगा। उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार ही जिला एवं ब्लॉक आयुष चिकित्सालय में विशेषज्ञ के पद सृजन, पदस्थापन एवं स्थानान्तरण किये जायेंगे।

विशेषज्ञ पदों हेतु स्नातकोत्तर उपाधिधारक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में पंचकर्म, क्षारसूत्र, जरारोग इत्यादि विषयों में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट उपाधिधारी एवं स्त्री एवं प्रसूति/बालरोग (आंचल प्रसूता) हेतु महिला चिकित्साधिकारी को वरिष्ठतानुसार पदस्थापित/स्थानान्तरित किया जायेगा।

3.10 जिन सम्भागों में आयुष महाविद्यालय संचालित नहीं हैं वहां राज्य आयुष चिकित्सालय का प्रभारी अधिकारी अतिरिक्त निदेशक (तकनीकी) स्तर का अधिकारी होगा। जिला आयुष चिकित्सालयों का प्रभारी अधिकारी उप निदेशक स्तर का अधिकारी होगा एवं ब्लॉक आयुष चिकित्सालय का प्रभारी अधिकारी जिला आयुर्वेद अधिकारी स्तर का अधिकारी होगा।

3.11 आयुष विभाग में कार्यरत समस्त शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारियों का वेतनमान एवं परिलब्धियां, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारियों के समकक्ष होंगे।

3.12 जिन चिकित्सालयों / औषधालयों में चिकित्सक, कम्पाउण्डर या परिचारक के पद लम्बे समय से रिक्त हैं वहां पर जिला आयुर्वेद अधिकारी, उप निदेशक या निदेशक के माध्यम से

नियमित नियुक्ति होने तक की अवधि के लिए संविदा/तदर्थ नियुक्तियां की जा सकेंगी। जिन चिकित्सालय/औषधालय में परिचारक या सफाईकर्मी के पद सृजित नहीं है वहां पर अकुशल श्रमिक के न्यूनतम वेतन पर एक मुश्त राशि आधारित श्रमिक साफ–सफाई एवं रखरखाव हेतु रखे जा सकेंगे, एतदर्थ सम्बन्धित औषधालय/चिकित्सालयों को राशि उपलब्ध करवाई जाएगी।

3.13 सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आमजन को आयुष चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने हेतु चल चिकित्सा इकाईयों को स्टॉफ, वाहन एवं औषधि आदि संसाधनों से परिपूर्ण किया जायेगा, इस हेतु आवश्यक वित्तीय प्रावधान रखे जायेंगे। प्रत्येक जिले में प्रतिवर्ष विशिष्ट आयुष चिकित्सा शिविर आयोजित किये जायेंगे, जिसमें चिकित्सा सेवाओं के साथ–साथ जनसामान्य में स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता उत्पन्न करने के लिए एक स्वास्थ्य प्रदर्शनी भी लगाई जायेगी।

4. आयुष शिक्षण संस्थानों, शिक्षकों एवं चिकित्सकों का समुन्नयन

4.1 भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् [C.C.I.M.] अधिनियम 1970 एवं होम्योपैथिक केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1973 के अनुरूप राज्य में आयुष शिक्षण संस्थाओं में 5) वर्षीय स्नातक एवं 3 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित हैं। आयुष के शिक्षण हेतु न्यूनतम मानक उक्त नियन्त्रक परिषदों द्वारा निर्धारित किए हुए हैं। राज्य में आयुष शिक्षा राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम 2002 द्वारा नियंत्रित होती है। इस अधिनियम के अनुरूप आयुष शिक्षा संस्थानों की सम्बद्धता विश्वविद्यालय के नियन्त्रणाधीन है।

4.2 वर्तमान में राज्य के अजमेर, भरतपुर, कोटा एवं बीकानेर सम्भाग मुख्यालय पर आयुर्वेद महाविद्यालय संचालित नहीं है। अतः इन सम्भाग मुख्यालयों पर चरणबद्ध तरीके से राजकीय/निजी आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित किये जायेंगे। इसी प्रकार राज्य में एक भी राजकीय होम्योपैथी एवं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय संचालित नहीं है। अतः राज्य में एक राजकीय होम्योपैथी एवं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

4.3 राज्य में आयुष महाविद्यालयों के लिए शिक्षक एवं आयुष चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं के लिए स्नातकोत्तर उपाधिधारकों की नितान्त आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति अधिकाधिक स्नातकोत्तर योग्यताधारक तैयार करके ही की जा सकती है। वर्तमान में राज्य के एकमात्र

राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर एवं राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद में तीन–तीन विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित है। अतः अधिक स्नातकोत्तर उपाधिधारक उपलब्ध हो सके, एतदर्थ दोनों महाविद्यालयों में समस्त 14 विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जायेंगे। राज्य के एकमात्र यूनानी महाविद्यालय, टोंक में भी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जायेंगे।

4.4 राज्य में संचालित आयुष शिक्षण संस्थाओं में न्यूनतम मानकों के अनुरूप संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी, जिससे उच्च स्तरीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधिधारक तैयार किये जा सकेंगे। न्यूनतम मानकों के अनुरूप संसाधनों की उपलब्धता हेतु निजी क्षेत्र में विधिवत् अनुमति प्राप्त अलाभकारी आयुष शैक्षणिक संस्थानों को केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत अवसंरचना उन्नयन हेतु सब्सिडी युक्त ऋण सुविधा उपल्बध कराने में सहयोग प्रदान किया जायेगा।

4.5 राज्य में आयुष चिकित्सा के क्षेत्र में शोध एवं विकास हेतु एक भी केन्द्र संचालित नहीं है, आयुष चिकित्सा पद्धतियों की पुनर्वेधता, प्रभाव, समसामयिकीकरण एवं मानकीकरण के लिए इसकी महती आवश्यकता है। जहां चिकित्सा एवं भैषज उत्पादों पर अनुसंधान एवं समसामयिक विकास कार्य हो सके। एतदर्थ राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर में शोध एवं विकास केन्द्र की स्थापना की जायेगी।

4.6 आयुष पद्धति के शिक्षकों एवं चिकित्सकों के ज्ञान को अद्यतन करने हेतु यह आवश्यक है कि सतत शिक्षा कार्यक्रम [CME] का आयोजन हो, एतदर्थ राज्य सरकार पर्याप्त बजट प्रावधानों के साथ आयुष शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से सतत् शिक्षा कार्यक्रम को लागू करेगी। नर्सिंग कार्मिकों को भी इन कार्यक्रमों से लाभान्वित किया जायेगा। भविष्य में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना भी की जायेगी।

4.7 आज भी अनेक पाण्डुलिपियों में आयुर्वेदीय ज्ञान सम्पदा संग्रहीत है, ये पाण्डुलिपियां जीर्ण–शीर्ण अवस्था में आयुर्वेद क्षेत्र के लोगों की पहुंच से दूर यत्र–तत्र व्यक्तियों एवं पुस्तकालयों में उपलब्ध है, इस ज्ञान सम्पदा के संग्रहण एवं प्रकाशन हेतु एक स्वतंत्र **आयुर्वेद अकादमी का गठन** किया जायेगा, यह अकादमी इन पाण्डुलिपियों को संग्रहित कर इनकी वैधता का परीक्षण करेगी तथा इनको प्रकाशित करेगी, जिससे इन पाण्डुलिपियों में निहीत ज्ञान को नष्ट होने से

बचाया जाकर जन स्वास्थ्य उन्नयन में उसका उपयोग किया जा सके। इसके अतिरिक्त यह अकादमी पारम्परिक एवं लोक चिकित्सा तथा जड़ी–बूटियों से उपचार कर रहे गुणीजनों के ज्ञान का प्रमाणीकरण कर उसे भी प्रकाशित करायेगी।

4.8 आयुष रसायनशालाओं में कुशल एवं प्रशिक्षित कार्मिकों का नितान्त अभाव है, जिसके कारण रसायनशालाओं में गुणवत्तापूर्ण औषधि निर्माण कार्य सम्यक् रूप से नहीं हो पा रहा है। इसके लिए आयुष क्षेत्र में योग्य फार्मासिस्ट तैयार करने हेतु डी. फार्मा, बी.फार्मा एवं एम.फार्मा आदि पाठ्यक्रम तैयार कर विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किये जायेंगे, जिससे फार्मेसी क्षेत्र के लिये कुशल एवं दक्ष व्यक्ति उपलब्ध हो सकेंगे।

4.9 आयुष विधा द्वारा अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से विश्वविद्यालय द्वारा पंचकर्म आधारित मसाज थैरेपी पाठ्यक्रम, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पाठ्यक्रम, ओष्टियोपैथी एवं पंचकर्म आधारित पाठ्यक्रम इत्यादि विभिन्न पाठ्यक्रम तैयार किये जायेंगे, जिनको महाविद्यालय स्तर, नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र स्तर पर संचालित किया जायेगा, जिससे प्रशिक्षण प्राप्त कुशल व्यक्ति अपने स्तर पर, संस्था स्तर पर कार्य कर अपनी आजीविका चला सकेंगे।

5. आयुष चिकित्सा पद्धति की सस्ती, प्रभावी व गुणवत्तापूर्ण औषधियों का निर्माण :–

5.1 वर्तमान में राज्य में आयुर्वेद औषधियों के निर्माण हेतु 05 राजकीय रसायनशालायें एवं 356 निजी क्षेत्र की रसायनशालायें संचालित हैं। राजकीय रसायनशालाओं में 52 आयुर्वेद एवं 18 यूनानी औषधियों का निर्माण वर्तमान में किया जा रहा है। राज्य में होम्योपैथी औषध निर्माण हेतु सरकारी एवं निजी क्षेत्र में कोई रसायनशाला वर्तमान में संचालित नहीं है। अतः राज्य में एक राजकीय होम्योपैथी व एक राजकीय यूनानी रसायनशाला की स्थापना की जाएगी तथा निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जायेगा। साथ ही यूनानी एवं होम्योपैथी के लिए ड्रग लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं नियंत्रण की पृथक् व्यवस्था की जायेगी।

5.2 वर्तमान में राज्य सरकार की रसायनशालाओं में आयुर्वेद एवं यूनानी औषधियों का निर्माण किया जा रहा है। इन रसायनशालाओं में क्षमता के अनुरूप उत्पादन नहीं

हो रहा है परिणामस्वरूप राज्य के आयुष चिकित्सा केन्द्रों की आवश्यकता के अनुरूप औषधि का वितरण नहीं हो पा रहा है। अतः इन रसायनशालाओं में उत्पादन बढ़ाने हेतु अत्याधुनिक मशीनों एवं उपकरणों का क्रय किया जायेगा।

5.3 रसायनशालाओं में औषधि निर्माण के परम्परागत कुशल मजदूरों की कमी के कारण औषध निर्माण में अवांछित देरी होती है एवं गुणवत्तायुक्त औषधि निर्माण नहीं हो पाती अतः श्रमिकों की नियुक्ति एवं श्रमिकों के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

5.4 वर्तमान में राजकीय रसायनशालाओं में निर्मित औषधियों की पैकेजिंग प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। जैसा कि क्वाथ, चूर्ण वटी इत्यादि आयुष औषधियों के प्रमुख कल्प हैं जिनके औषधालय चिकित्सालय पहुंचने तक उनके स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है। इस व्यवस्था को परिवर्तित एवं अत्याधुनिक बनाया जायेगा। औषधियों की गुणवत्ता एवं स्वरूप को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु अत्याधुनिक मशीन एवं उपकरणों को क्रय कर इन्हें बाजार में उपलब्ध निजी क्षेत्र की रसायनशालाओं द्वारा निर्मित औषधियों की पैकिंग के समान आकर्षक पैकिंग की जायेगी।

5.5 आयुष चिकित्सा कार्य में एकल औषध का प्रयोग प्रचुरता के साथ किया जाता है ऐसे में एकल औषधियों के निर्माण को बढ़ावा दिया जायेगा व राजकीय रसायनशालाओं में निर्मित एकल औषधियों की संख्या में वृद्धि की जायेगी।

5.6 राजकीय रसायनशालाओं में निर्मित औषधियों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जायेगा एवं पृथकशः Quality Control Unit की स्थापना जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर में की जायेगी, जिससे गुणवत्तायुक्त औषध निर्माण सुनिश्चित किया जा सके। अजमेर स्थित Drug Testing Laboratory को और अत्याधुनिक बनाकर टेक्निकल स्टॉफ की नियुक्ति कर Drug Testing को बढ़ावा दिया जायेगा।

5.7 आयुष चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में उच्च शिक्षण के दौरान अनेक औषधियों पर अनुसंधान एवं नैदानिक परीक्षण किये जाते हैं जो सम्बन्धित रोगोपचार में अत्यधिक प्रभावी होते हैं ऐसी अनुसंधानित औषधियों का राज्य की रसायनशालाओं में निर्माण कर इस औषध को जनसामान्य के लाभ हेतु औषधालय/चिकित्सालयों में वितरित

किया जावेगा। साथ ही आयुष चिकित्सा के क्षेत्र में कार्यरत अनुभवी एवं सिद्ध चिकित्सकों द्वारा अनुभूत औषधीय योगों की प्रमाणिकता की जांच कर उसे वृहद् स्तर पर रसायनशालाओं में निर्माण कर वितरित किया जावेगा।

5.8 वर्तमान में राजकीय रसायनशालाओं में कार्यरत तकनीकि अधिकारी / कर्मचारियों हेतु पृथक केडर नहीं है अतः रसायनशालाओं के लिये पृथक् केडर की स्थापना की जायेगी जिससे रसायनशालाओं में कार्यरत कार्मिकों की कार्यप्रकृति में निरन्तरता बनी रहे एवं औषध निर्माण कार्य निश्चित समयावधि में सम्पादन हो सके। तकनीकी दृष्टि से रसशास्त्र एवं द्रव्यगुण विषय–विशेषज्ञों का पदस्थापन रसायनशाला में किया जायेगा।

5.9 वर्तमान में आयुष औषधियों के भण्डारण एवं औषध विक्रय हेतु प्रभावी लाईसेंस प्रणाली का अभाव है, एतदर्थ तत्सम्बन्धी प्रावधान नियमों में शामिल कराये जायेंगे एवं आयुष क्षेत्र में B. Pharma, D. Pharma (AYUSH) इत्यादि योग्यताधारकों को ड्रग लाईसेंसिंग हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। वर्तमान में, राज्य में प्रशिक्षण प्राप्त DAN&P (डिप्लोमा इन आयुर्वेद नर्सिंग एण्ड फार्मेसी) उपाधिधारक व्यक्तियों को ही आयुर्वेद औषधियों के विक्रय की अनुमति दी जायेगी।

5.10 आयुष औषधियों के प्रभाव एवं दुष्प्रभाव का अद्यतन DATABASE तैयार करवाया जाना सामयिक आवश्यकता है। इस हेतु एक PHARMACOVIGILANCE CENTRE की स्थापना मदनमोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर में की जायेगी जो राज्य के समस्त आयुष औषधालय/चिकित्सालयों से प्राप्त सूचना का संकलन, विश्लेषण एवं प्रकाशन करावेगा।

5.11 निजी क्षेत्र की कम्पनियों को GMP मानकों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करवायी जायेगी जिससे मानक के अनुरूप औषधियां जन–सामान्य को उपलब्ध करवाई जा सके, एतदर्थ औषधि निरीक्षकों की नियुक्ति एवं उन्हें समसामयिक प्रशिक्षण देकर उनके संचालन कौशल को बढ़ाया जायेगा। औषध निरीक्षक के लिए रसशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर उपाधिधारकों को प्राथमिकता दी जायेगी।

5.12 राज्य में आयुष औषधि निर्माण को बढ़ावा देने हेतु वृहद् उद्योगों (Large Industry) को व लघु उद्योगों (Small Industry) को प्रोत्साहित किया जावेगा।

6. आयुष औषधियां के निर्माण में काम आने वाले औषधीय पादपों का उत्पादन एवं उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।

6.1 औषधीय पादप हमारे देश की आयुष पद्धति से चिकित्सा का प्रमुख आधार है। चिकित्सा में उपयोगी वानस्पतिक प्रजातियों में से लगभग 90 प्रतिशत से अधिक प्रजातियां आज भी वनों से ही प्राप्त होती है। वह भी उन्मूलनात्मक साधनों से प्राप्त की जाती है। फल–स्वरूप कई प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर है। तथा कतिपय की उपलब्धता दुरूह होती जा रही है। दूसरी और वैश्विक स्तर पर औषधीय पादपों की मांग दिनों–दिन बढ़ती ही जा रही है। अतः मांग तथा उपलब्धि में विषमता आ रही है। वनों से असंधारणीय संग्रहण की बढ़ती चिन्ता तथा कई प्रजातियों का विलोप होना एवं औषधीय पादपाधारित औषधीयों के निर्माण मे गुणवत्ता एवं मानकीकरण की चिन्ताओं ने यह अनिवार्य बना दिया है कि उपयुक्त पद्धतियों के लिए आवश्यक प्रजातियों की कृषि को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है।

6.2 इस क्रम में राजस्थान राज्य में औषध पादप मण्डल बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड द्वारा विगत वर्षो में औषध पादपों के संरक्षण सवर्धन एवं विपणन सम्बन्धी कार्य किये गये है, किन्तु अभी भी इस क्षेत्र में बहुत कुछ किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में निम्न अनुसार कार्य राज्य औषध पादप मण्डल द्वारा किये जाएगें।

- औषधीय पादपों की कृषि की संभावनाओं वाले चुनिन्दा जिलों में चिन्हित समूहों में औषधीय पादपों की कृषि को बढावा देना।
- इस प्रकार की कृषि को बढावा देने के लिए गुणवत्तायुक्त पौध सामग्री का उत्पादन एवं आपूर्ति प्रसंस्करण, गुणवत्ता परीक्षण, प्रमाणन, भंडारण तथा आयुष उद्योगों की मांग को पूरा करने तथा मूल्य सवंर्धित वस्तुओं के निर्यात हेतु सहक्रियात्मक अनुबंध के माध्यम से अच्छे कृषि एवं संग्रहण अभ्यासों को अपनाना।

- औषधीय पादपों को इस प्रकार बढावा देना कि वह कृषकों के लिए फसल का विकल्प बन जावे।
- सहकारिता संस्थाओ/संगठनों के माध्यम से सामूहिक कृषि प्रयासों को प्रोत्साहन देना।
- गुणवत्तायुक्त पादप रोपण सामग्री आपूर्ति हेतु आदर्श पौधशालाओं की स्थापना करना।
- गुणवत्तायुक्त पादप रोपण सामग्री आपूर्ति हेतु लघु पौधशालाओं की स्थापना करना।
- औषधीय पादपों के भंडारण, प्रसंस्करण तथा विपणन हेतु सहायता।
- राज्य में 16 वनौषधि उद्यानों को जलवायु एवं वातावरण के अनुरूप औषधियों का रोपण, संग्रहण स्थल बनाया जायेगा।
- जलवायु एवं वातावरण के अनुरूप औषधियों को चिन्हित कर उन औषधियों को उनके जलवायु वातावरण के अनुसार रोपण, संग्रहण एवं वितरण प्रणाली प्रारम्भ की जावेगी।
- राज्य में वनौषधियों के विक्रय हेतु हर्बल मण्डियों की स्थापना की सम्भावनाओं का पता लगाकर स्थापना हेतु कार्य करना।
- जनजातीय, मरुस्थलीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाली वनौषधियों को चिन्हित कर उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इन औषधियों के उत्पादन एवं व्यापारिक लाभ के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।
- औषधालयों में यथा आवश्यक वनौषधियां लगाने एवं उपयोग लेने के लिए चिकित्सकों को प्रेरित किया जायेगा।

6.3 समस्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राजस्थान औषधि पादप बोर्ड 'आयुर्वेद मिशन' के परिपत्र में वर्णित दिशा निर्देशानुसार उपयुक्त स्थानों को चिन्हित करते हुए पौधशालाओं की स्थापना, लघु पौधशालाओं की स्थापना करना तथा औषधीय पादपों के भंडारण, प्रसंस्करण तथा विपणन हेतु आर्थिक अनुदान/ सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया के साथ साथ प्रत्येक ग्राम पंचायत, जिला तथा संभाग स्तर पर औषधि पादप फसल संग्रहण, शुष्कीकरण, भंडारण एवं

प्रसंस्करण केन्द्र स्थापना हेतु 'नोडल–एजेन्सी' के रूप में कार्य करेगा, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता आवश्यकतानुसार ली जा सकेगी।

7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं मौसमी बीमारियों में आयुष पद्धतियों के आधारभूत ढांचे एवं मानव संसाधन का अधिकतम उपयोग करना।

7.1 राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सहभागिता हेतु राज्य के आयुष मानव संसाधन का अधिकतम उपयोग किया जायेगा। एतदर्थ विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लक्ष्य प्राप्ति हेतु आयुष मानव संसाधन द्वारा निर्देशानुसार सहयोग प्रदान किया जायेगा।

7.2 विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों यथा प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य, रक्ताल्पता निवारण आदि कार्यक्रमों में शतावरी, सौभाग्य शुण्ठी पाक, पुनर्नवा मण्डूर, अर्क अजवायन, अर्क पौदीना, आयुष बाल घुट्टी इत्यादि औषधियों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जायेगा।

7.3 राष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रति जनसामान्य में जागरुकता उत्पन्न करने हेतु कार्य किया जायेगा।

7.4 मौसमी बीमारियों के रोकथाम हेतु आयुर्वेद के ऋतुचर्या, दिनचर्या, सदवृत्त, स्वच्छता एवं आहार–विहार सम्बन्धी सिद्धान्तों का प्रचार–प्रसार कर जनसामान्य में जागरुकता उत्पन्न की जायेगी।

8. जीवन शैली जनित रोगों एवं जीर्ण रोगों के निवारण हेतु आयुष चिकित्सा पद्धति का अधिकाधिक उपयोग एवं शोधकार्य :–

8.1 आधुनिक जीवनशैली एवं बढ़ते मानसिक तनाव के कारण स्थौल्य (**Obesity**) मधुमेह (**Diabetes**) उच्च रक्त चाप (**Hypertension**) एवं कैंसर इत्यादि असंचारी व्याधियों का प्रचलन बढ़ा है। इन रोगों को नियमित व्यायाम, दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, सद्वृत, आहार–विहार एवं रसायन–वाजीकरण के द्वारा प्रभावी रूप से नियन्त्रित किया जा सकता है। अतः आयुषतंत्र के माध्यम से जनसामान्य में जागरुकता लाने एवं रोगग्रस्त होने पर आयुष औषधियों के माध्यम से इनके निराकरण के प्रयास किय जायेंगे।

8.2 आयुष महाविद्यालयों से सम्बद्ध चिकित्सालयों द्वारा जनसामान्य में स्वस्थजीवनशैली के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए **''वेलनेस सेंटर''** स्थापित किये जायेंगे। ये केन्द्र विषम

जीवनशैलीजन्य व्याधियों पर शोध कार्य भी करेंगे तथा शोध कार्य से प्राप्त परिणामों का प्रकाशन भी करेंगे।

9. आयुष चिकित्सा पद्धतियों के प्रति जनसामान्य में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु विषयवस्तु प्रचार सामग्री एवं विभिन्न माध्यमों का निर्धारण कर कार्ययोजना बनाना।

9.1 राज्य में आयुष पद्धतियों पर आधारित प्रचार–प्रसार सामग्री तैयार कर प्रकाशित करने हेतु समुचित व्यवस्था नहीं है, जिससे इन पद्धतियों के उपयोगी सिद्धान्तों का लाभ जनसामान्य को समुचित रूप से नहीं पहुंच पाता है। एतदर्थ मदनमोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर में एक आई.ई.सी. प्रकोष्ठ की स्थापना की जायेगी, जो आयुष आधारित इलेक्ट्रॉनिक (Audio - Visuals) एवं प्रिंट दोनों प्रकार की आई.ई.सी. सामग्री विकसित कर प्रकाशित करेगा।

9.2 यह प्रकोष्ठ सावधि आयुष पत्रिका (Periodicals) का प्रकाशन भी करेगा, जिसमें आयुष विभाग की जानकारियों के साथ–साथ, आयुष क्षेत्र के समस्त क्रियाकलापों यथा – नवीनतम अनुसंधान, आयुष चिकित्सा क्षेत्र में हो रहे महत्वपूर्ण कार्य, शिक्षण–प्रशिक्षण से सम्बन्धित गतिविधियां, वनौषधि एवं औषध निर्माण के क्षेत्र में हो रहे नवीनतम कार्यों की जानकारियां शामिल की जायेंगी तथा पत्रिका का निःशुल्क वितरण समस्त आयुष औषधालय, चिकित्सालय एवं कार्यालयों में किया जायेगा।

9.3 इस हेतु वित्तीय प्रावधान रखे जायेंगे।

10. आयुष चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में निजी निवेश प्रोत्साहन–

10.1 विभाग द्वारा 2008 में आयुष क्षेत्र में निजी निवेशकों आकृष्ट करने हेतु **Policy to Promote Private Investment in Ayush Health Care Facility 2008** बनाई गई थी। इस नीति की वैधता दिसम्बर 2013 तक थी। आयुष क्षेत्र में निजी निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए इस नीति की वैधता को 2020 तक बढ़ाया जायेगा।

10.2 राज्य में आयुष चिकित्सको को निजी चिकित्सालय स्थापित करने के लिए प्रात्साहित किया जायेगा। इस हेतु ब्याज मुक्त ऋण एवं आरक्षित दर पर भूमि सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी।

11. आयुष बजट राशि में वृद्धिः–

11.1 राज्य में आयुष चिकित्सा पद्धतियों के प्रति जनसामान्य का रूझान तेजी से बढ़ रहा है। आमजन का इन चिकित्साओं के निरापद होने व रोग को समूल समाप्त करने की विशिष्टता के कारण लाभार्थियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुयी है। अतः राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कुल बजट राशि का 10 प्रतिशत बजट आयुष चिकित्सा पद्धतियों को आवंटित किया जावेगा।

12. अन्तर्विभागीय सहभागिता

12.1 राज्य में जनस्वास्थ्य एवं मानव संसाधन विकास हेतु संचालित विभागों यथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत राज विभाग, कृषि विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग आदि के कार्यक्रम एवं योजनाओं में आयुष विभाग की समुचित स्तर पर सहभागिता सुनिश्चित की जावेगी जिससे आयुष पद्धति की विशिष्टताओं का लाभ जनसमुदाय को मिल सकेगा।